

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :-रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या
10/2019

रजू दिनांक
05.02.2019

निर्णय दिनांक
18.01.2021

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र मितरू जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

.....प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

उपस्थिति:-वादी स्वयं श्री रोहिताश पारीक तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील मुण्डावर।

:-निर्णय:-

आजयह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी स्वयं श्री रोहिताश पारीक तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील मुण्डावर उपस्थित है। वादी ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0नं0 हाल 905/449 रकबा 0.13 हैक्ट. किस्म बारानी 3 राजस्व ग्राम श्रीकृष्णनगर तह0 मुण्डावर में स्थित है। उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है। उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत 2072-73 में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। पटवारी हल्का पेहल द्वारा दिनांक 29.01.2019 को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर कृषि कार्य के बजाय गैर कृषि कार्य विद्यालय भवन स्थापित है। तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नहीं है। पटवारी रिपोर्ट एवं नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है। राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि में कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व

२५६-

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

की हानि हुयी है। इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया है तथा भविष्य में यह भूमि पुनः कृषि योग्य नहीं रह पायेगी। प्रतिवादीगण की इस कृत्य की देखा देखी में अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि भूमि में पैदावार होना भी असंभव हो सकता है तथा भूमि का कृषि संबंधी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। वाद पत्र में सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। वाद पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क आदि से मुक्त है। वाद का कारण पटवारी हल्का द्वारा खातेदारान द्वारा कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का मौके पर स्वरूप कृषि से भिन्न भूमि में बदल दिया गया है। अतः प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारी समाप्त कर वाद पत्र में वर्णित भूमि राज्य सरकार के हित में सिवायचक घोषित करने की कृपा करे।

वादी ने अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का मौके पर स्वरूप कृषि से भिन्न भूमि में बदल दिया गया है। अतः प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारी समाप्त कर वाद पत्र में वर्णित भूमि राज्य सरकार के हित में सिवायचक घोषित करने की कृपा करे।

वादी ने अपने वाद पत्र के ताहिद में रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का पेहल दिनांक 29.01.2019, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत् 2072-75 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील करवाई गई। विधिवत तामील हुई। बावजूद विधिवत तामील प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नहीं हुये लिहाजा प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।
बहसवादी सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया है एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का सम्यक समाधान है कि आराजी ख0नं0 हाल 905/449 रकबा 0.13 हैक्ट. किस्म बारानी 3 राजस्व ग्राम श्रीकृष्णनगर तह0 मुण्डावर में स्थित है। उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है। उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2072-75 में अप्रार्थी/प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। तहसीलदार मुण्डावर एवं पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि मौके पर कृषि कार्य के बजाय गैर कृषि कार्य विद्यालय भवन स्थापित है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नहीं है। राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि में कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुयी है। इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया है तथा भविष्य में यह भूमि पुनः कृषि योग्य नहीं रह पायेगी। प्रतिवादीगण की इस कृत्य की देखा देखी में अन्य लोगों द्वारा भी इसी

अ.य.ए.
उप-मुण्डावारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि भूमि में पैदावार होना भी असंभव हो सकता है तथा भूमि का कृषि संबंधि उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

वादी का वाद जायज है। साबित है। न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:आदेश:—

आराजी ख०नं० हाल 905/449 रकबा 0.13 हैक्ट. किस्म बारानी 3 राजस्व ग्राम श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला अलवर से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारी समाप्त कर उपरोक्त वर्णित आराजी ख०नं० हाल 905/449 रकबा 0.13 हैक्ट राज्य सरकार के हित में सिवायचक घोषित की जाती है एवं तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये जाते है उक्त उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रामसिंह राजावत
(रामसिंह राजावत)
उपसहायक उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०